न्यायालय जिला कलक्टर अलवर राजस्थान

प्रकरण सख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/10/2023	2023/24	16.01.2023	08.08.2023

1. कजोडी
2. मुखराम
3. हरदयाल
4. छोटेलाल
5. रामवीर पुत्रान मोतीलाल जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम बाढबिलंदी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
2. बाबूलाल यादव पुत्र दौलतराम यादव
3. जग्गी पुत्र हरसहाय गुर्जर
4. बन्नी पुत्र हरसहाय गुर्जन निवासीयान ग्राम बाढबिलंदी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01. श्री गणपत सिंह नरूका —वकील प्रार्थी
02. श्री शैलेन्द्र यादव —वकील अप्रार्थीगण सं0 2

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी कजोडी वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, अलवर

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के यहां पर एक वाद बउनवान कजोडी वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0 राजस्व वाद सं0 1/54/2022 विचाराधीन है। प्रकरण में प्रतिवादीगण बाबूलाल यादव व अन्य जो कि राजनितिक पैठ वाले व्यक्ति है। उक्त दावे में दखलन्दाजी करके कार्यवाही करवाई जा रही है। दिनांक 02.12.2022 को वादी के अधिवक्ता के जाने के बावजूद वादी के वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया जिस पर वादी प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा इस पर अपना विरोध किया गया तो दिनांक 12.12.2022 को न्यायालय द्वारा वाद को पुनः नम्बर पर ले लिया गया और प्रकरण को सुनवाई हेतु दिनांक 02.01.2023 को नियत कर न्यायालय द्वारा बगैर बहस सुने अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली को वास्ते आदेश दिनांक 19.01.2023 नियत कर दी और प्रतिवादी द्वरा ऐलानिया तौर पर कहां कि पहले भी तुम्हारा वाद खारिज करवा दिया है और अब अगली पेशी पर तुम्हारा वाद खारिज कर दूंगा। प्रार्थी एक साधारण मजदूरी पेशा आदमी है, जिसे कानून का ज्ञान नहीं है। प्रतिवादीगण का अप्रार्थी सं0 1 के चैम्बर में आना जाना लगा रहता है, जिस कारण प्रार्थी को गांव में ऐलानिया धमकी दी जा रही है कि हम स्वंय सरकार है, तुम्हारी जमीन का हमारे मुताबिक बंटवारा अपने तरीके से करके रहेंगे। मुकदमा को भी खारिज करवा कर रहूंगा और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। कोई भी अधिकारी अब मेरी कार्यवाही को नहीं रोक सकता, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। जिस कारण प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय की कोई आशा नहीं है। न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थी अपने वाद को अन्यंत्र न्यायालय में स्थानांतरण कराना चाहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन वाद दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण सं0 2 ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा में विचाराधीन उपरोक्त वाद को दीगर न्यायालय अथवा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में मुंतकिल किया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि वाद में दिनांक 02.12.2022 को वादी एवं उनके अधिवक्ता को आवाज दिलाने के बावजूद भी हाजिर नहीं होने पर वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया तथा दिनांक 12.12.2022 को वकील वादी ने हाजिर होकर प्रा0पत्र रैस्टोरेशन पेश करने पर वकील वादी को विधिवत सुनकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया तथा शेष तथ्य प्रार्थी द्वारा मनगढंत व निराधार प्रतीत होते है। वाद में दिनांक 09.01.2023 को उभय पक्ष की

जिला कलक्टर, अलवर

बहस सुनकर वास्ते आदेश दिनांक 19.01.2023 नियत की गयी, उसके बाद आदेश पूर्व दिनांक 18.01.2023 को प्रार्थी ने प्रा0पत्र मुंतकिल पेश करने बाबत प्रा0पत्र इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वर्णित आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड तकासमा का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी द्वारा तकासमा करने पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत जवाब पेश किया। नियमानुसार उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, इसके बाद प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की नियत से मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया। फिर भी उक्त प्रकरण/वाद को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही वकील अप्रार्थी सं0 2 के दौराने बहस वाद को मुंतकिल किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की गयी है। प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में विचाराधीन प्रकरण कजोडी वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0 वाद सं0 1/54/2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी अलवर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)